



DR . RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, AYODHYA (U.P.)

डॉ राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उत्तर प्रदेश)

पत्रांक संख्या : लो०३०वि०/सम्ब०/ २०२० / १५३७

दिनांक : १५०७) २०२०

सम्बद्धता आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम—1973 (यथासंशोधित) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—14 सन् 2014) की धारा—37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा दिनांक 14.07.2020 एवं विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 13(6) के अन्तर्गत कुलपति महोदय की अनुमति दिनांक: 15.07.2020 से प० राम केदार रामकिशोर त्रिपाठी महाविद्यालय, रवनिया सुलतानपुर को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत शारीरिक शिक्षा, अंग्रेजी एवं चित्रकला विषयों में स्ववित्तप्रेषित योजनान्तर्गत सत्र 2020-21 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

१. शैक्षिक सत्र 2019-20 के परीक्षाफल के अभाव में सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता आदेश इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि सन्दर्भित पाठ्यक्रम/विषयों का सत्र 2018-19 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुरूप (60 प्रतिशत उत्तीर्ण) होने की स्थिति में सत्र 2020-21 से सम्बद्धता के आदेश निर्गत किये जायेंगे।
- २ संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या 2851/सत्तर-२-२००३-१६(९२)/२००२ दिनांक ०२ जुलाई २००३ में उल्लिखित सुसंगत दिशा निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
३. संस्था कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्त निरन्तर पूरी कर रहा है।
४. यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णत तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
५. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
६. महाविद्यालय समय-समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संचालन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत ओदरों का सम्यक अनुपालन समग्रता में सुनिश्चित करेगा अन्यथा सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही विचारणीय होगी।
७. संस्था द्वारा शासनादेश संख्या 421/सत्तर-१-२०१५-१६(२०)/२०११ दिनांक २२ मई २०१५ के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी।
८. मानकानुसार शिक्षकों की निरंतरता एवं बैंक के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
९. महाविद्यालय द्वारा इस सम्बद्धता आदेश की प्राप्ति के पश्चात् ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। पाठ्यक्रम में प्रवेश शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत तत्सम्बन्धी दिशा निर्देशों के अधीन किया जाएगा।
१०. College must take sincere interest and ensure accreditation from NAAC, Bangalore on a priority basis.

भवदीय

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. प्रबन्धक, प० राम केदार रामकिशोर त्रिपाठी महाविद्यालय, रवनिया सुलतानपुर।
२. परीक्षा नियन्त्रक, डॉ राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
३. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं कालेज लाग-इन पर अपलोड कराये जाने हेतु।
४. निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
५. पत्रावली।

उप-कुलसचिव
१५०७/२०२०